भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1223

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

बृहदेश्वर मंदिर में पर्यटक सुविधाओं में सुधार

†1223. श्री मुरसोली एस.:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल बृहदेश्वर मंदिर में, जहां बड़ी संख्या में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, आधुनिक पर्यटक प्रबंधन प्रणालियों, पर्यटकों की आवाजाही के विनियमन और उन्नत पर्यटक सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) उक्त मंदिर में डिजिटल आगंतुक सूचना प्रणाली, निर्देशित-भ्रमण अवसंरचना, बहुभाषी इंटरप्रेटेशन केन्द्र और विरासत-सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसी केन्द्रीय सहायता प्राप्त पहलों के अभाव के क्या कारण हैं जबकि देश के अन्य भागों में ऐसे विरासत स्थलों पर इसी प्रकार की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का उक्त मंदिर में आगंतुक प्रबंधन, आपातकालीन अनुक्रिया अवसंरचना और संरचित विरासत इंटरप्रेटेशन मॉड्यूल सहित केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बृहदेश्वर मंदिर सहित सभी विश्व विरासत स्थलों पर आगंतुकों की सुरक्षा, विरासत की व्याख्या और डिजिटल पर्यटन सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटक स्थलों और उत्पादों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय, अपनी चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, अर्थात् 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता

(एसीए)' के माध्यम से, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर के राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रयासों को संपूरित करता करता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं। अवसंरचना के विकास के लिए प्राप्त प्रस्तावों की परियोजना की मेरिट, धन की उपलब्धता और निर्धारित योजना दिशानिर्देशों के पालन के आधार पर जाँच की जाती है और तदनुसार उनके ऊपर विचार किया जाता है।

एसीए योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने कुल 11.47 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली "गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जिला अरियालुर, तमिलनाडु में प्रकाश व्यवस्था एवं संबद्ध कार्य" नामक एक परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना का घटक-वार विवरण संलग्न है।

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत, पर्यटन से संबंधित अवसंरचना का विकास समावेशी, एकीकृत और स्थायी तरीके से किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा, संरक्षा, पहुंच और पारिस्थितिक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

इन योजनाओं के अंतर्गत आगंतुकों की सुरक्षा, सुगम्यता, डिजिटल पर्यटन सेवाओं और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई घटकों को मंजूरी दी गई है। इनमें रैंप, रेलिंग, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, जन संबोधन प्रणाली, संकेतक, रोशनीकरण, ध्वनि एवं प्रकाश तथा मल्टीमीडिया लेज़र शो, व्याख्यान केंद्र, कतार परिसर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ शामिल हैं।

****

अनुबंध

श्री मुरसोली एस. द्वारा बृहदेश्वर मंदिर में पर्यटक सुविधाओं में सुधार के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. **†1223 के** भाग (क) से (घ) के उत्तर में **विवरण**

(i) केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीए) योजना के तहत स्वीकृत परियोजना 'गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर, जिला - अरियालुर, तमिलनाडु में प्रकाश व्यवस्था और संबद्ध कार्य' का घटक-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**घटक**	**स्वीकृत लागत (करोड़ रु. में.)**
1	लाइट फिक्स्चर की लागत	5.39
2	नियंत्रण सहायक उपकरण और विद्युत संबंधी वस्तुओं की लागत	1.54
3	सीसीटीवी और उससे संबंधित उपकरणों की लागत	0.46
4	विभिन्न मदों की लागत (माउंटिंग केज, स्थानीय पत्थरों के उपयोग से इन्स्टॉलेशन की व्यवस्था, केबल मैनेजर्स आदि)	0.50
5	उप-योग(1+2+3+4)	7.89
6	ओ एंड एम प्रभार@10% 3 वर्ष के लिए	0.78
7	कुल (5+6)	8.68
8	आईटीडीसी सैंटेज़(10 % of 7)	0.86
9	आकस्मिकता (3% of 7)	0.26
10	डीपीआर तैयार करने की लागत (एकमुश्त)	0.10
11	जीएसटी (18% of 7)	1.57
12	कुल योग (7+8+9+10+11)	11.47

****